

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

(देखें अभिलेख हस्ताक, 1942 का नियम - 129)

संतु उरॉव वगै०

बनाम

हिण्डालको ली०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :-50/2012-13

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री संतु उरॉव पति-स्व० एतवा उरॉव

2 रामधन उरॉव

3. धनी उरॉव

4 जितेन्द्र उरॉव पिता-स्व० नजारियुस उरॉव

5 मो० शनियारों देवी पति- स्व० बंधना उरॉव

सभी ग्राम- पोड़होपाट, सेरेंगदाग थाना-घाघरा जिला-गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 49 के अंतर्गत अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि मेसर्स मिनरल्स एवं मिनरल्स लि० कोर्ट रोड लोहरदगा जिला- लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया है :-

क्र०	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)
1.	सेरेंगदाग	30	117	161	1.64
				144(P)	0.50
				281	2.18
	कुल			03	4.32

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि यह वाद वर्ष-2012-13 का है जिसमें आवेदकगण के द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

22.04.22
उपायुक्त,
गुमला

22.04.22
उपायुक्त,
गुमला